जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

कार्यालय आदेश

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत जीविकोपार्जन निवेश निधि (एल.आई.एफ.) घटक के तहत चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों को वित्तीय सहायता एवं उत्पादक संपत्ति का सृजन कराने हेतु कार्यालय आदेश (संख्या- **BRLPS/Proj-M&E/1373/18/Vol-II/4308**) **दिनांक- 18.12.2021** को निर्गत किया गया है।

उपरोक्त कार्य के दौरान विशेष परिस्थिति में कुछ जिलों में ग्राम संगठनों से जीविकोपार्जन निवेश राशि निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों के अनुसार एस.जे.वाई. मद में राशि की उपलब्धता कम पड़ने की स्थिति में संबन्धित ग्राम संगठनों में उपलब्ध राशि का उपयोग करते हुये संबन्धित लक्षित परिवारों को तत्काल एस.आई.एफ. (विशेष निवेश निधि) की राशि का हस्तांतरण ग्राम संगठन के द्वारा एकाउंट पेयी चेक/ नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाना था।

इस कार्यालय आदेश के साथ **ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों को एस.आई.एफ. (विशेष निवेश निधि) की राशि का हस्तांतरण की प्रतिपूर्ति (Fund Re-Imbursement) मांग प्रपत्र** का प्रारूप संलग्न है। राशि का हस्तांतरण की प्रतिपूर्ति संबन्धित आवेदन तथा अन्य दस्तावेज (ग्राम संगठन की मीटिंग मिनट्स, चेक/नेफ्ट/आरटीजीएस की प्रति, राशि मांग हेतु आवेदन पत्र इत्यादि) ग्राम संगठन से संबंधित बी.पी.आई.यू. में जमा करवा लिया जाये तथा जांचोपरांत इन आवेदनों को बी.पी.आई.यू. द्वारा ऋण समिति की बैठक(LCM) में पारित करवाते हुए डी.पी.सी.यू. को अनुशंसित की जाये तथा डी.पी.सी.यू. द्वारा ग्राम संगठनों को राशि की प्रतिपूर्ति (Fund Re-Imbursement) सुनिश्चित कर लिया जाए।

साथ ही दिसंबर 2021 माह में 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' अंतर्गत चयनित लक्षित परिवारों को **एस.आई.एफ. (विशेष निवेश निधि)** के भुगतान हेतू यदि डी.पी.सी.यू. के एस.जे.वाई. मद में राशि उपलब्ध नहीं है तो उन परिवारों को भी तत्काल ग्राम संगठनों द्वारा **एस.आई.एफ. (विशेष निवेश निधि)** उपलब्ध कराई जाये तथा इन ग्राम संगठनों से भी आवेदन मंगवाते हुए उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार राशि प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाये |

Signed by Balamurugan D
Date: 17-02-2022 19:43:04
Reason: Approved

(बालामुरुगन डी.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह राज्य मिशन निदेशक
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति

प्रतिलिपि

सभी जिला परियोजना प्रबन्धक /वित्त प्रबन्धक /एस.जे.वाई. जिला नोडल/ प्रखंड परियोजना प्रबन्धक
आईटी सेक्शन / संबंधित संचिका

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों को उपलब्ध कराये गए विशेष निवेश निधि की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र

(प्रसंग: कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj-M&E/1373/18/Vol-II/4308 दिनांक- 18.12.2021)

सेवा में ,

प्रखंड परियोजना प्रबन्धक ,

प्रखंड :.................................... जिला -.................................

महोदया / महोदय

हमारे ग्राम संगठन का नाम : ...., गाँव का नाम : ... .,

पंचायत का नाम: ...., बैंक का नाम : ....,

ग्राम संगठन का बैंक खाता संख्या: ....

आई.एफ.एस.सी (IFSC) कोड : ...., बैंक शाखा : .... के साथ है |

सतत् जीविकोपार्जन योजना (SJY) के अंतर्गत लक्षित परिवारों की सूची जिन्हें ग्राम संगठन द्वारा विशेष निवेश निधि (SIF) की राशि उपलब्ध कराई गयी है :

क्र. सं	लक्षित परिवार का नाम	लक्षित परिवार का MIS ID	लक्षित परिवार की श्रेणी	ग्राम संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गयी SIF की राशि	SIF हस्तांतरण का माध्यम (चेक/ नेफ्ट/ आर.टी.जी.एस.)
1					
2					
3					
4					
	कुल				

हमारे ग्राम संगठन द्वारा उपरोक्त वर्णित परिवारों को उपलब्ध कराई गयी विशेष निवेश निधि की राशि की प्रतिपूर्ति (Re-Imbursement) हेतु राशि की मांग की जा रही है। उपरोक्त राशि का भुगतान संबन्धित लक्षित परिवारों को ग्राम संगठन द्वारा किया जा चुका है। ग्राम संगठन द्वारा यह भी घोषणा की जा रही है कि उपरोक्त सभी परिवारों का चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत ग्राम संगठन द्वारा किया गया है।

संलग्न दस्तावेज:

1. ग्राम संगठन की बैठक की कार्यवाही पुस्तिका की छाया प्रति
2. ग्राम संगठन का बैंक खाता पासबूक की छाया प्रति अथवा ग्राम संगठन द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराई गयी SIF की राशि से संबन्धित चेक/नेफ्ट/आरटीजीएस की प्रति

सचिव का नाम एवं हस्ताक्षर	**अध्यक्ष का नाम एवं हस्ताक्षर**
दिनांक:	दिनांक: ....

उपरोक्त सभी परिवारों हेतु विशेष निवेश निधि की राशि का भुगतान ग्राम संगठन के द्वारा किया गया है। अतः उपरोक्त राशि का भुगतान जिला इकाई द्वारा ग्राम संगठन को किया जा सकता है।

सामुदायिक समन्वयक / क्षेत्रीय समन्वयक का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	**प्रखंड परियोजना प्रबंधक का नाम एवं हस्ताक्षर**
दिनांक:	दिनांक: ....